वर्ष 2014-15 हेतु राष्ट्रीय बायोगैस एवं खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम हेतु विस्तृत दिशा निर्देश

राष्ट्रीय बायोगैस एवं खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है एवं बीस सूत्रीय कार्यक्रम एवं सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत भी यह कार्यक्रम शामिल है । उक्त राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में पारिवारिक एवं संस्थागत बायोगैस संयंत्रों का निर्माण किया जाता है । उक्त कार्यक्रम के क्रियान्यवन हेतु भारत सरकार के MNRE के द्वारा एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रति संयंत्र आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाता है । वर्ष 2014-15 में इस कार्यक्रम के क्रियान्यवन हेतु MNRE एवं राज्य शासन से आर्थिक सहयोग की जानकारी अभी तक अपेक्षित है ।

वार्षिक लक्ष्य :- क्रेडा द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु पारिवारिक बायोगैस संयंत्रों की स्थापना हेतु वार्षिक लक्ष्य कुल 5000* संयंत्रों का रखा गया है ।

* **नोट**- उपरोक्त लक्ष्य का न्यूनतम 5% लक्ष्य अनु. जाति वर्ग के लिए पूर्ण किया जाना अनिवार्य है।

संस्थागत बायोगैस संयंत्र का वार्षिक लक्ष्य - 30 नग है ।

प्रधान कार्यालय द्वारा वार्षिक लक्ष्य का जिलेवार आबंटन निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :-

क्र.	जिले का नाम	पारिवारिक बायोगैस संयंत्रों का लक्ष्य	संस्थागत संयंत्र का लक्ष्य
01.	रायपुर	150	02
02.	बलौदाबाजार	150	01
03.	महासमुंद	600	01
04.	गरियाबंद	300	01
05.	धमतरी	400	01
06.	बालोद	75	01
07.	कांकेर	400	01
08.	दुर्ग	150	01
09.	बेमेतरा	75	01
10.	राजनांदगांव	150	01
11.	कवर्धा	150	01
12.	बिलासपुर	250	02
13.	मुंगेली	100	01
14.	कोरबा	250	01
15.	सरगुजा	150	01
16.	बलरामपुर	100	01

17.	सूरजपुर	100	01
18.	कोरिया	100	01
19.	रायगढ़	400	02
20.	जांजगीर	250	01
21.	जशपुर	100	01
22.	बस्तर	75	01
23.	कोण्डागांव	225	01
24.	सुकमा	50	01
25.	दन्तेवाड़ा	175	01
26.	नारायणपुर	50	01
27.	बीजापुर	25	01
योग		**5000**	**30**

प्रधान कार्यालय द्वारा समस्त जिलों का वार्षिक लक्ष्य के अनुसार त्रैमासिक लक्ष्य निम्नानुसार निर्धारित किया गया है।

त्रैमास	माह	प्रतिशत
प्रथम	अप्रैल से जून	25%
द्वितीय	जुलाई से सितंबर	5%
तृतीय	अक्टूबर से दिसंबर	30%
चतुर्थ	जनवरी से मार्च	40%

अनुदान एंव बजट - वर्ष 2014-15 में उक्त कार्यक्रम के सफल रूप से क्रियान्यवन हेतु MNRE से वार्षिक लक्ष्य (5000 बायोगैस संयत्र की स्थापना) के अनुरूप प्रति संयंत्र 8000/- के अनुदान की मांग हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है । अनुदान की स्वीकृति की जानकारी प्राप्त होने पर पृथक से सूचना जारी की जायेगी ।

BE/मास्टरमेसन/SEW के कार्य एवं कर्तव्य तथा निर्देश :- कार्यक्रम को सरल एवं सफल रूप से क्रियान्यवन हेतु निम्नानुसार BE/मास्टरमेसन/SEW के कार्य एवं कर्तव्य प्रस्तावित है :-

(1) सर्वप्रथम हितग्राही से आवेदन प्रपत्र पूर्ण कर जिला कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

(2) SEW/TKW/अन्य व्यक्ति द्वारा बायोगैस संयंत्र निर्माण हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर जानकारी बायोगैस एक्जीक्यूटिव द्वारा कम्प्यूटर में दर्ज कर संबंधित SEW/स्वयं द्वारा संबंधित हितग्राही के यहां ले-आउट देना तथा समस्त उपयुक्त सामग्रीयों तथा अनुदान की जानकारी प्रदान किया जाना होगा ।

(3) हितग्राही द्वारा गड्ढ़े की खुदाई एवं सामग्री की तैयारी की सूचना प्राप्त होने पर BE/SEW द्वारा प्रशिक्षित मेसन की तैनाती कर निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाना होगा ।

(4) निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात शीघ्र-अतिशीघ्र BE/SEW द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र (पूर्ण रूप से भरा एवं BE/मास्टरमेसन/SEW हितग्राही तथा सरपंच के हस्ताक्षरयुक्त) जिलें के प्रभारी/सहायक अभियंता को सीमेंट देयक के भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जाना होगा ।

(5) निर्माण पश्चात/निर्माण के दौरान BE/SEW द्वारा हितग्राही को संयंत्र को कार्यशील करने हेतु सभी जानकारियां प्रदान करना होगा (जैसे - संयंत्र की तराई, गोबर का इकट्ठा करना एवं प्रारंभिक भराई) ।

(6) निर्माण पश्चात/निर्माण के दौरान BE/SEW द्वारा मेसन के सहयोग से हितग्राही के यहां बायोगैस सहायक सामग्री की फीटिंग एवं पेंटिंग का कार्य समयानुसार कराया जाना होगा ।

(7) संयंत्र के कार्यशील होने पर संयुक्त निरीक्षण पत्र (पूर्ण भरा हुआ एवं हस्ताक्षरित) तथा संयंत्र के हितग्राही के साथ फोटोग्राफ जिलें के प्रभारी/सहायक अभियंता को हितग्राही के शेष देय अनुदान विवरण पत्रक के साथ जमा करना होगा ।

बायोगैस एक्जीक्यूटिव को समय-समय पर प्रदान किये गये सामग्रियों का विवरण संबंधित पंजी/27 कॉलम पंजी एवं कम्प्यूटर में संधारण करना होगा तथा समस्त पावतियों का संबंधित नस्ती में संधारण करना होगा ।

(9) बायोगैस एक्जीक्यूटिव को जिलें में निर्मित सभी संयंत्रों का कम से कम एक बार निरीक्षण करना आवश्यक होगा जिसका प्रमाण निरीक्षण प्रपत्र से संधारित करना होगा तथा प्रधान कार्यालय को अपना मासिक प्रतिवेदन प्रेषित करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

(10) बायोगैस एक्जीक्यूटिव द्वारा संयुक्त निरीक्षण प्रपत्र प्राप्त होने पर TKW/SEW का भुगतान हेतु विवरण प्रपत्र संबंधित जिला प्रभारी/सहायक अभियंता को प्रस्तुत करना होगा (माहवार) ।

(11) बायोगैस एक्जीक्यूटिव द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय/प्रधान कार्यालय को प्रतिमाह एक/दो तारीख को मासिक प्रगति प्रतिवेदन (निर्धारित प्रपत्र में) प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा ।

(12) बायोगैस एक्जीक्यूटिव को दिए गये लक्ष्य के अनुसार त्रैमासिक लक्ष्यों को भी पूर्ण करना होगा । त्रैमासिक लक्ष्यों का 50% न्यूनतम प्राप्त करना अनिवार्य है, अन्यथा कमी हेतु ₹ 200/- प्रति संयंत्र की दर से राशि का भुगतान प्रति माह देय राशि में समायोजित होगा ।

(13) बायोगैस एक्जीक्यूटिव द्वारा वार्षिक लक्ष्य प्राप्त न होने की दशा में लक्ष्य से कम बनाये गये प्रत्येक संयंत्र हेतु ₹ 100/- की दर से कटौती की जाएगी ।

(14) बायोगैस एक्जीक्यूटिव, जिला प्रभारी/सहायक अभियंता के स्वीकृति पश्चात ही क्षेत्र में यात्रा प्रवास करेंगे। यात्रा प्रवास परिणाम मूलक होना चाहिए यात्रा व्यय कंडिका अ (iii) के अनुसार देय होगा ।

(15) यात्रा व्ययों की प्रति पूर्ति हेतु आवेदन संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा।

(16) बायोगैस एक्जीक्यूटिव द्वारा हितग्राही के फोटोग्राफ्स (आवेदन के समय) के साथ ही संयंत्र का फोटोग्राफ्स भी संधारण करना होगा ।

(17) बायोगैस एक्जीक्यूटिव/SEW द्वारा निर्मित संयंत्र स्थल पर कोडिंग अथवा निर्माण वर्ष अंकित कराया जाना अनिवार्य होगा एवं कोडिंग पूर्व नियमानुसार (क्रेडा/विकासखंड/जिला/वर्ष/कोड (तीन अंकीय)) का भी हितग्राहीवार संधारण करना अनिवार्य होगा ।

(18) बायोगैस एक्जीक्यूटिव/SEW द्वारा पूर्व में क्रेडा द्वारा निर्मित संयंत्रों (क्रेडा की स्थापना वर्ष 2008-09 तक) के न्यूनतम 10% संयंत्रों का निरीक्षण का निरीक्षण प्रतिवेदन प्रधान कार्यालय को प्रेषित करना होगा ।

(19) हर एक बायोगैस एक्जीक्यूटिव द्वारा 50 पुराने संयंत्रों का सुधार कार्य किये जाने का लक्ष्य रखा गया है, इनमें ऐसे संयंत्र आयेंगे जो वर्ष 2008-09 के पूर्व स्थापित किया गया हो । सुधार कार्य के लिए क्रेडा की ओर से अधिकतम राशि ₹ 2000/- प्रति संयंत्र प्रावधान इस शर्त के साथ रखा जाना प्रस्तावित है कि उतनी ही या उससे अधिक राशि (जो शेष है) हितग्राही स्वयं वहन करें ऐसे प्रस्ताव की स्वीकृति पूर्व में प्रधान कार्यालय से लिया जाना अनिवार्य होगा ।

(20) बायोगैस एक्जीक्यूटिव की निर्माण की गुणवत्ता एवं कार्यशीलता की समस्त जवाबदारी होगी ।

(21) बायोगैस एक्जीक्यूटिव द्वारा जिलेवार बायोगैस सहायक सामग्री की स्कंध एवं खपत की जानकारी संधारण करनी होगी एवं माहवार प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय/प्रधान कार्यालय में जिला प्रभारी/सहायक अभियंता के माध्यम से प्रेषित किया जाना होगा ।

(22) बायोगैस एक्जीक्यूटिव का मासिक वेतन, यात्रा भत्ता इत्यादि का भुगतान जिला स्तर पर ही किया जाना होगा ।

(23) बायोगैस एक्जीक्यूटिव द्वारा बायोगैस संयंत्र निर्माण हेतु प्रस्तुत सीमेंट देयक के समय से भुगतान कराने की जवाबदारी सहायक अभियंता/जिला प्रभारी की होगी ।

(24) किसी भी स्थिति में बायोगैस एक्जीक्यूटिव को जिला/कार्य क्षेत्र के बाहर यात्रा प्रवास की अनुमति नही होगी । अपरिहार्य स्थिति में प्रधान कार्यालय से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

(25) बायोगैस एक्जीक्यूटिव द्वारा वर्ष के अन्त में यदि लक्ष्य पूर्ण कर लिया जाता है तो पूर्व में की गई कटौती की राशि एवं यात्रा देयक की रोकी हुई राशि (सीमा तक) का भुगतान एक मोक्ष क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से जिला कार्यालय द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा ।

(26) सभी बायोगैस एक्जीक्यूटिव को अपना, मासिक प्रतिवेदन (निर्धारित प्रपत्र में) अनिवार्य रूप से अपने क्षेत्रीय कार्यालय/जिला कार्यालय से सत्यापित करवाकर प्रधान कार्यालय को प्रेषित करना होगा ।

(27) बायोगैस एक्जीक्यूटिव का न्यूनतम लक्ष्य 300 नग बायोगैस संयंत्रों का है इससे अधिक की ही उपलब्धि अपेक्षित है ।

(28) बायोगैस एक्जीक्यूटिव से बायोगैस परियोजना के अतिरिक्त अन्य कोई भी परियोजना से संबंधित कार्य नही कराया जायेगा, इसकी जिम्मेदारी संबंधित सहायक अभियंता/जिला प्रभारी एवं संबंधित कार्यपालन अभियंता की होगी।

अन्य दिशा निर्देश :-

(1) जिला प्रभारी/सहायक अभियंता इस कार्यक्रम के प्रति विशेष रूचि लेते हुए दिये गये लक्ष्य की शतप्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करेंगे ।

(2) जिला प्रभारी/सहायक अभियंता द्वारा कार्यक्रम को गतिशील करने हेतु सीमेंट के भुगतान में अपने प्रदत्त वित्तीय अधिकारी का उपयोग सुनिश्चित करना होगा ।

(3) सीमेंट के देयक विरूद्ध भुगतान हेतु पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर जिला प्रभारी/सहायक अभियंता द्वारा प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय में 07 दिवस के अंतर्गत किया जाना अनिवार्य होगा । विलंब अथवा किसी भी तरह की विसंगति हेतु स्वयं उत्तरदायी होंगे ।

(4) कार्यपालन अभियंता द्वारा सहायक अभियंता/जिला प्रभारी से प्राप्त प्रतिवेदन पर वित्त कक्ष से सीमेंट का भुगतान अधिकतम 07 दिवस के अंतर्गत किया जाना अनिवार्य होगा ।

(5) इसी तारतम्य में निर्मित संयंत्रों के कार्यशीलता पश्चात (संयुक्त निरीक्षण प्रपत्र प्राप्त होने पर) कार्यपालन अभियंता द्वारा सहायक अभियंता/जिला प्रभारी की अनुशंसा पर SEW का पारिश्रमिक भुगतान माहवार किया जाना सुनिश्चित करेंगे ।

(6) जिला प्रभारी/सहायक अभियंता द्वारा वर्ष में निर्मित समस्त संयंत्रों का निरीक्षण शतप्रतिशत किया जाना अनिवार्य होगा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन माहवार प्रधान कार्यालय को प्रेषित किया जाना होगा ।

(7) कार्यपालन अभियंता द्वारा क्षेत्रांतर्गत समस्त निर्मित संयंत्रों का कम से कम 5% तथा जोनल अधिकारी/अधीक्षण अभियंता द्वारा 10% निरीक्षण किया जाना अनिवार्य होगा ।

(8) प्रधान कार्यालय द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय से निर्धारित प्रपत्र में बायोगैस सहायक सामग्री की मांग पत्र (वित्त कक्ष द्वारा प्रमाणित) प्राप्त होने पर सामग्री का क्रयादेश जारी किया जावेगा ।

(9) जिला प्रभारी/सहायक अभियंता द्वारा कलस्टर एप्रोच में अधिक संभावना वाले ग्रामों में अधिकतम संख्या में बायोगैस संयंत्र के निर्माण का प्रयास किया जाना होगा जिससे प्रशासनिक एवं रख-रखाव व्यय कम से कम हो।

(10) निर्माण सह-रखरखाव, लाभार्थी एवं अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम की स्वीकृति प्रधान कार्यालय से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा । ऐसे सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम ऐसे स्थलों पर आयोजित किये जावे जहां इनकी उपयोगिता प्रमाणित हो । ऐसे सभी प्रस्ताव स्वीकृति हेतु क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रधान कार्यालय को प्रेषित किये जावेंगे ।

(11) बायोगैस निर्देशिका का वितरण वर्ष में लाभान्वित हितग्राही को जिला/क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा । बायोगैस निर्देशिका प्रधान कार्यालय द्वारा जिला/क्षेत्रीय कार्यालय को उपलब्ध करायी जावेगी।

(12) C.S.R. से अथवा किसी संस्था/विभाग से प्राप्त राशि से बायोगैस संयंत्र का निर्माण यदि किये जाते हो तो हितग्राही द्वारा कम से कम निम्नानुसार व्यय सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा ।

(i)	गड्ढे की खुदाई	- लगभग ₹ 500/-
(ii)	प्रशिक्षित मेसन का पारिश्रमिक	- लगभग ₹ 1400/- (2 घन मी. हेतु)
(iii)	प्रशिक्षित मेसन का पारिश्रमिक	- लगभग ₹ 1500/- (3 घन मी. हेतु)
(iv)	संयंत्र निर्माण के दौरान	- लगभग ₹ 800 से ₹ 1000/-